

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2004

का. आ. 1058(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 96 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, 1 अक्टूबर, 2004 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम का अध्याय 7 प्रवृत्त होगा।

[अधिसूचना सं. 247/2004/फा. सं. 142/23/2004-टीपीएल]

शरत चन्द्र, निदेशक